18/11/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

18/11/24 पत्रावली प्रस्तुत हुई, पत्रावली बाबत बहस
प्रा. पत्र न. 2 दिनांक 22/11/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

22/11/24 आज पत्रावली प्रस्तुत हुई. प्रार्थी व उसके वकील
उपस्थित नहीं, परन्तु वकील अप्रार्थी ने निवेदन
किया कि प्रार्थी ने उक्त आराजी पर स्थगन आदेश
लेकर अप्रार्थी के हितो पर कुठाराघात किया है।
तथा सुनवाई में जान-बूझकर देरी कर अप्रार्थी
के हितो पर कुठाराघात करना चाहता है, वकील
प्रार्थी की बहस बाबत् प्रार्थना पत्र सुनी गई व
न्यायहित में प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के अनुसार निर्णय
किया जाना उचित है। वकील अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार
शर्मा ने कथन किया कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र
सिर्फ अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से दावा किया
जबकि उक्त आराजी की प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य दिनांक
24.03.2020 को 50 के शपथ पत्र पर बटवारा हो गया
है जिसमें प्रार्थी को पूर्ण सहमति जाहिर करते हुए
हस्ताक्षर किये। शपथ-पत्र की प्रति जवाब प्रार्थना
पत्र ~~[illegible]~~ के साथ प्रस्तुत की है, प्रार्थी
व अप्रार्थी के मध्य [illegible] 0.36 आरे
कस्बा नगर तह. नगर [illegible] पश्चिम मे
5/9 हिस्सा प्रार्थी [illegible] का कब्जा
रहेगा। तथा इसके पूर्व मे [illegible] आवाप सं. । [illegible]
वद 5/9 हिस्सा व सड़को का 1/8 हिस्सा रहेगा
जो तरफ पूर्व मे रहेगा अप्रार्थी ने अपने हिस्से

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:12:01 IST
Reason: SelfAttested

फतेहचन्द बनाम नरेशचन्द प्रा.प. शहरीचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 22/21
	चारदीवारी कर ली है व अप्रार्थी सं. 1 ने अपने हिस्से मे बोर लगा रखी है अतः प्रार्थी उक्त आराजी पर स्थगन से अप्रार्थी के विद्युत कनेक्शन मे बाधा उत्पन्न करना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज करवाया जावे। वकील अप्रार्थी के कथनो पर विचार किया गया प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र व अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया है तो न्यायालय इस निष्कर्ष तक पहुँचता है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य उक्त आराजी विधिवत बंटवारा नही हुआ है तथा अप्रार्थी ने आराजी के विशेष हिस्सो पर निर्माण कर लिया है जो आराजी के बंटवारे तक उचित प्रतीत नही होता है जबकि आराजी के प्रत्येक इंच-इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सानुसार हक होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 07/05/2021 को जारी स्थगन आदेश की पुष्टि मूलवाद के निर्णय होने तक की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज॰

Signature Not Verified
Digitally signed by Anurag Harit
Date: 2024.09.27 16:12:01 IST
Reason: SelfAttested